न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 28/2018 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. देवीसिंह पुत्र जीवन
2. आशा पत्नी प्रताप
3. नगीना पत्नी मोहनसिंह
4. गुड्डी पत्नी बच्चू
5. रानी पत्नी कुमरपाल
6. संजय पत्नी वीरपाल

जाति जाट निवासी हाल आबाद पालतू तहसील नगर जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्टस

बनाम

अशर्फी पुत्री जीवन जाति जाट निवासी हाल आबाद ग्राम उटारदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.1.2018 जिला कलक्टर भरतपुर व सिलसिले मुकदमा नम्बर 45/15 अशर्फी बनाम देवीसिंह वगै0

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के के निर्णय दिनांक 16.1.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार नदबई द्वारा नामान्तरकरण संख्या 748 ग्राम पिपरऊ दिनांक 16.10.2015 मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र अपीलान्टस के हक में स्वीकृत किया गया जिससे व्यथित होकर अशर्फी द्वारा अपील तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 16.10.2015 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि विचाराधीन प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अशर्फी रैस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी के संबध में एक घोषणा का दावा न्यायालय ए0सी0एम0 नदबई में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह जीवन की पुत्री है व देवीसिंह अपीलान्ट संख्या –1 व अर्जुनसिंह उसके भाई है व एक बहिन चिरौंजी भी थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। जिस पर दिनांक 15.7.2015 को विवादित आराजी की रिकार्ड की बाबत यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया। दिनांक 15.7.2015 के आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनांक 11.9.2015 को एसीएम नदबई के आदेश दिनांक 15.7.2015 की पालना स्थगित कर दी गई थी। यह कि जीवन की मृत्यु 1953 में हो चुकी थी तब आरटीएक्ट 1955 आस्तित्व में नहीं था। जीवन की मृत्यु होने के बाद उसके दोनो पुत्र अर्जुन व देवीसिंह के हक में तहसीलदार नदबई द्वारा दाखिल खारिज तस्दीक किया गया था। जीवन की मृत्यु 1953 में होने के बाद अशर्फी द्वारा 68 वर्ष व्यतीत होने के बाद घोषणा का दावा सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वास्तविकता यह है कि जीवन के दो पुत्र अर्जुनसिंह व देवीसिंह हुये अर्जुनसिंह की मृत्यु हो चुकी है व देवीसिंह की पांच पुत्रीयां जो अपीलान्ट 2 लगायत 6 है उनके कोई पुत्र नहीं है। अर्जुनसिंह के पुत्र देवीसिंह की आराजी को हडपना चाहते है। इसलिऐ अशरर्फी से दावा करवाया है। देवीसिंह ने अपनी हक की समस्त आराजी का रजिस्टर्ड दानपत्र अपनी पांचों पुत्रीयों के हक में कर दिया है। इस रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दिनांक 16.10.2015 को तहसीलदार नदबई द्वारा नामान्तरकरण खोला गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश में पटवारी की कार्यवाही को जल्दबाजी मानते हुये एसीएम के आगामी निर्णय के लिये एक माह का इन्तजार करना चाहिऐ था अंकित किया है जो तार्किक नहीं है। एसीएम नदबई के यहां 68 साल बाद दावा किया है अभी तो यह तय होना है कि वास्तव में अशरर्फी जीवन की पुत्री है भी या नहीं। जीवन की मृत्यु आरटीएक्ट 1955 लागू होने से पूर्व हुई थी तो क्या अशरर्फी उसमें कोई अधिकार रखती है या नहीं। यह सभी बिन्दु दावे में ही तय होगें। इसलिऐ नामान्तरकरण 748 दावे के निर्णय तक बहाल रखा जाना न्यायिक रहता है। यह कि आर0ए0ए0 भरतपुर के आदेश दिनांक 11.9.2015 से ए0सी0एम0 नदबई के आदेश दिनांक 15.7.2015 को स्थिगित कर दिया और यह भी निर्देशित किया कि एक माह के अन्दर निस्तारण करें जबकि सहायक कलक्टर नदबई द्वारा एक माह के अन्दर कोई निस्तारण नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि दिनांक 11.9.2015 से एक माह 10.10.2015 होती है जबकि नामान्तरकरण दिनांक 16.10.2015 को तस्दीक किया गया है इसलिऐ अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय में यह अंकित करना कि एक माह का इन्तजार करना चाहिऐ था जबकि तहसीलदार नदबई द्वारा एक माह का समय निकल जाने के 6 दिन बाद नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो पूर्णरूपेण कानून सम्मत है। वक्त नामान्तरकरण संख्या 748 किसी भी न्यायालय का कोई भी स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था और देवीसिंह द्वारा अपनी पुत्रीयों के हक में ही दानपत्र किया है इससे भी अशर्फी के हक व हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है क्यों कि घोषणा का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 16.1.2018 न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि रैस्पो0 अशरफी ने विवादित आराजी के बाबत ए0सी0एम0 नदबई के यहां एक दावा प्रस्तुत किया। जिसमें एक पक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत अपीलान्ट देवीसिंह को रहनवय मुन्तकिल न किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। जिसमें 20.8.2015 तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसकी अपील देवीसिंह ने आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां पेश की। जिसमें दिनांक 11.9.2015 को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये कि दोनों पक्षों को सुन कर एक माह के अन्दर पुनः कानून सम्मत आदेश पारित करें। लेकिन एसीएम नदबई द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। लेकिन तहसीलदार ने दिनांक 16.10.2015 को नामान्तरकरण संख्या 748 अपीलान्ट के हक में खोल दिया। जबकि आर0 ए0 ए0 के निर्णय अनुसार ए0सी0एम0 नदबई के उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरान्त पारित निर्णय के आधार पर ही नामान्तरकरण खोलना चाहिऐ था। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि मृतक जीवन की दो सन्ताने है देवीसिंह पुत्र व अशर्फी पुत्री और देवीसिंह के साथ अशर्फी भी जीवन की आराजी में 1/2 हिस्सा पाने की हकदार है। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने अपीलधीन निर्णय में यह माना है कि ए0सी0एम0 नदबई द्वारा स्टे को खारिज नहीं किया था तहसीलदार नदबई ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया और अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय तहत तहसीलदार नदबई को राजस्व अपील अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ए0सी0एम0 नदबई के अन्तिम निर्णय का इन्तजार करना चाहिऐ था लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ। देवीसिंह ने अपनी बहन यानि कि अशर्फी को हिस्सा न देने की गरज से आराजी को अपनी पांचों पुत्रीयों को कथित दान पत्र के द्वारा दान कर दिया गया है जो एक बहन के हकों पर कुठाराघात है। अगर देवीसिंह की नीयत साफ थी तो देवीसिंह के मरने के बाद समस्त आराजी का नामान्तरकरण उत्तराधिकार के आधार पर उसकी लडकियों के नाम स्वतः आ जाता। लेकिन देवीसिंह की नीयत में खोट था इसलिऐ दानपत्र जैसी कार्यवाही की गई जिससे उसकी बहन अशर्फी अपने हकों से महरूम रह सके। उत्तराधिकार कानून के तहत मृतक जीवन की मृत्योपरान्त जैसे एक पुत्र का अधिकार है वैसे ही एक पुत्री का भी अधिकार है। इस तरह आनन फानन में तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 748 स्वीकार किया है वह विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 16.10.2015 विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किया गया है साथ ही तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया है कि विचाराधीन प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही करें। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश न्यायिक परिपेक्ष्य में पारित किया गया निर्णय है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 यथावत रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आराजी पैतृक है तथा इस संबध में घोषणात्मक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के यहां विचाराधीन है। यह भी तथ्य स्पष्ट है कि ए0सी0एम0 नदबई द्वारा जारी स्टे दिनांक 15.7.2015 को आर0ए0ए0 भरतपुर ने स्थगित करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में निर्णय करने हेतु ए0सी0एम0 नदबई को निर्देशित किया गया है। इस दरमियान पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 16 में अंकित रिपोर्ट न्यायोचित नहीं रहती है। तब जबकि विवादित आराजी के संबध में नियमित वाद विचाराधीन हो। न्यायिक मंशा के मध्येनजर नियमित वाद में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णयानुसार नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही की पूर्ति किया जाना न्यायिक रहता है ताकि बहुबाद पर अंकुश लगाया जा सके। इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य नियमित वाद सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अधिकारों की घोषणा की जानी है। साथ ही राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा भी उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में पक्षकारों के स्वत्व व अधिकारों को तय नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दानपत्र के आधार पर नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुऐ जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत् नही है। हमारे ख्याल से प्रकरण की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिये नियमित वाद में पारित अन्तिम निर्णय का तहसीलदार नदबई के द्वारा इन्तजार किया जाना न्यायिक रहता है। वास्तव में पक्षकार के हक–हकूक घोषणात्मक दावे से ही क्लीयर किये जा सकते है। लिहाजा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official